

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/2/2012


पत्रवाली वेत हुई। आज पीठरीव अधिकारी
कार्य सरकार के नाम अन्वेषण करे। पत्रवाली
हस्तुवा लेकर दिनांक 29/3/2012
को पेश हो।

29/3/2012

पत्रवाली वेत हुई। आज पीठरीव अधिकारी
कार्य सरकार के नाम अन्वेषण करे। पत्रवाली
हस्तुवा लेकर दिनांक 19/04/2012
को पेश हो।

19/04/2012

पत्रवाली पेश हुई। पार्थी सधिवक्ता
उपस्थित। तहसीलदार बाकरी की
जागत रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल
मिसल की गूली। तहसीलदार रिपोर्ट
सुनुवाट पार्थी का नाम नैमाराम की
जगह नैमीचन्द लिपकीय सुनिवेश की
गया। जो गलत है। पूर्वके सन्धी
हस्तावली में सही नाम नैमाराम है।
तहसीलदार रिपोर्ट एवं पत्रवाली को
स्थानपूर्वक अवलोकन किया गया। पार्थी
का पार्थना पत्र स्वीकार किया गया।
तथा ग्राम कजनाक तहसील वस्ती
के खसरा सन्धी नं. 19/3, 58/6,
तथा इश्वर महादेव नगर के ख.नं. 603/3,
660/3, 673/1, में नैमीचन्द की जगह
नैमाराम किया जाता है तथा तहसीलदार
बाकरी की रिपोर्ट देखा जाता है कि
उक्त खसरा में पार्थी का नाम नैमीचन्द
की जगह नैमाराम इन्फस कर
राजस्व रिकॉर्ड में समल - हरामहद
तहसीलदार बाकरी की पालनाथ तहसील
पेशी है। पत्रवाली मिसल सुनाए
होकर मन्कट से कमा हासिल करवा है।



[Handwritten signature]

सहायक कलेक्टर एवं
अन्वेषण अधिकारी, बावड़ी